

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
सरकार बनाम प्रतिभा सिंह डा० लाला सिंह जाति श्यामसिख सा 16BDC
किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं 31/19 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
18-2-19	<p>पटवारी हल्का 486BA ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. 16BDC के मुरब्बा नं. <u>240</u> के <u>1265</u> बीघा, भूमिरकवा 429 राज है जिस पर श्री <u>प्रतिभा सिंह</u> पुत्र श्री <u>लाला सिंह</u> जाति <u>श्यामसिख</u> सा <u>16BDC</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2025</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>5/3/19</u> को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

20-5-19 . पञ्जाबली पेशा में ली गयी । गिरदावर हल्ला
 12BPMI द्वारा स्वीकृत बुद्धा निलामी फर्द
 पेश की गयी । निलामी फर्द में सर्वाधिक
 बोलीदाता मदनलाल SI. राजीतराम मेघवाल
 साकिन 16BLC की 500/- रु रुपये की रई
 उक्त बोली स्वीकार की गयी । गिरदावर हल्ला
 द्वारा निलामी राशि जारिये चालानु संख्या
 59 दिनांक 17-5-19 को राशि राजकोष में जमा
 करवा दी गयी है जो मंगल दर्जलेखा की
 जावे । पञ्जाबी हल्ला द्वारा अलिकता को
 वेदरकल कलकला बहक सरका प्राप्त कर
 लिया गया है तावान राशि वसूल कर ली
 गयी है पञ्जाबली में शेष कायवादी का पेशा
 नहीं है अतः पञ्जाबली फेरला शुका होक
 दारिकल दफतल है

'घ' रजिस्टर की पृष्ठ सं. 24. क्रम संख्या 02
 दिनांक 21-5-19. राशि 500..... दर्ज किया



न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर



प्रकरण सं० 5119

वर्ष 2019

राजस्थान सरकार बनाम श्रीमति रीटो जाल सिंह जाहि राधादेव रा 168458

प्रस्तुतिकरण दिनांक 18-2-19 निर्णय दिनांक 5-3-19

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशिथत्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
5/3/19	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्वत् <u>2075</u> में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का <u>4868A</u> का प्रतिवेदन दिनांक <u>18-2-19</u> को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी <u>श्रीमति रीटो</u> पुत्र <u>जाल सिंह</u> जाति <u>राधादेव</u> निवासी <u>168458</u> को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक <u>168458</u> मु.नं. <u>245</u> कुल <u>1:265</u> है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का <u>10</u> गुणा राशि <u>101</u> शास्ति अधिरांपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 <u>12822A</u> को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक <u>5/3/19</u> को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर </p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. <u>46</u> की क्रम सं. <u>12</u> दिनांक <u>8/3/19</u> को <u>101-</u> दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">  11011010 </p>	